(C 12)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।** – (1) यह नियमावली "बिहार राज्य खाद्य आयोग" (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 के नियम 19 के बाद निम्नलिखित नए नियम 20, 21 एवं 22 जोड़े जायेंगे :–

20. **सदस्य–सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति ।** – आयोग के सदस्य–सचिव में विभागाध्यक्ष की शक्ति निहित होगी अर्थात् सदस्य–सचिव प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

21. **आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने या आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त होने की स्थिति में कार्य की प्रक्रिया ।** – राज्य सरकार आयोग का अध्यक्ष का पद रिक्त होने या आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पद रिक्त होने की स्थिति में विकास आयुक्त, बिहार को अध्यक्ष के आवश्यक दैनिक कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी ।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति :** –

(1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से इससे संबंधित पूर्व निर्गत असंगत/नियम/विनियम/ आदेश/परिपत्र एतद् द्वारा निष्प्रभावी हो जायेंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियम, विनियम, आदेश एवं परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह नियमावली उस दिन लागू थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था वैसी कोई कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/10/2017

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र06–विविध–22/2013 खण्ड 5388 खाद्य पटना/दिनांकः 20.10.17

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को M.S. Word में साफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधरण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

18/10/2017

सरकार के सचिव।

D:\...\2017\SECTION\...\Bihar State Food Commission.doc

ज्ञापांकः–प्र06–विविध–22/2013 खण्ड 5388 खाद्य–पटना/दिनांकः– 20.10.17
प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Govt. of Bihar
Food & Consumer protection Deptt.

Notification

In exercise of the power conferred by sub section (1) of section 16 of the National Food Security Act 2013, the Bihar Govt. is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar State food commission Rule 2014 :-

1. **Short title, extend and commencement** - (1) These Rules may be called "The Bihar State Food Commission (amendment)" Rules 2017 .
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar .
(3) It shall come into force at once .

2. The following new Rules 20, 21 and 22 shall be added after rule 19 of the Bihar State Food Commission Rule 2014 :-

20 . Administrative and financial power of Member - Secretary :-

The powers of Departmental Head shall be vested in the Member -Secretary of the Commission meaning, this is to say The Member-Secretary shall execute the administrative and financial works .

21. The procedure of work in case of being vacant post of The Chairman or being vacant posts of The Chairman and Members of the Commission :-

The State Government shall authorize the Development Commissioner Bihar to perform necessary routine work of the Chairman in case of being vacant post of Chairman or being vacant posts of the Chairman and its Members in the Commission .

22. Repeal and savings :-

(1) All previous contrary Rules, Regulations, Orders and Circulars issued related herewith shall stand ineffective from the date of commencement of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the said Rules, Regulations, Orders and Circulars shall be deemed, to be taken under these Rules as if these rules were enforced on such date on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor of Bihar

4.10.2017
(Pankaj Kumar)
Secretary to the Govt.

Memo No. Pra.6/vividh/22/2013-khand 5388 Khadya/Patna dated 20.10.17
Copy to - Incharge E-Gazette, Finance Department, Bihar, Patna with Soft copy in MS-Word and with two hard copy for information and sent for immediate publication of extra ordinary Bihar Gazette.

It is requested to make available the notification in 100 (Hundred) copies.

18/x/2017
Secretary to the Govt.

Memo No. Pra.6/vividh/22/2013-khand 5388 Khadya/Patna dated - 20.10.17
Copy to - Chief Minister Principal Secretary to Governor/Chief Secretary. Bihar, Patna/ Secretary Bihar Assembly/Secretary, Bihar Legislative Council/ All Divisional Commissioner/All Department/ Managing Director, Food and Civil Supplies Corporation, Khadhya Bhawan, Patna/All Vice Chancellor/ All District Magistrate/All District Supply Officer for information and necessary action.

18/x/2017
Secretary to the Govt.